

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-17/विविध 1-81/2016- 594(17)/स्वा० पटना, दिनांक - 26/7/19


गया जिला में बच्चों में जापानी इनसिफेलाइटिस एवं चमकी बुखार (Accute Encephalitis Syndrome) के बढ़ते मामले एवं चिकित्सकों की कमी को दृष्टिपथ में रखते हुए निम्नांकित सीनियर रेजिडेन्ट/चिकित्सक शिक्षक को दिनांक-29.07.2019 के अपराहन से दिनांक-05.08.2019 के अपराहन तक के लिए अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया के अधीन प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम/पदनाम/विभाग	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्त स्थान
1	डा० राकेश कुमार, सहायक प्राध्यापक(संविदा), शिशु रोग विभाग	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना	अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया के अधीन।
2	डा० जनार्दन प्रसाद सिंह, सहायक प्राध्यापक(संविदा), शिशु रोग विभाग	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना	अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया के अधीन।
3	डा० पी०के० यादव, सीनियर रेजिडेंट, शिशु रोग विभाग	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर।	अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया के अधीन।
4	डा० धनंजय कुमार, सहायक प्राध्यापक(संविदा), शिशु रोग विभाग	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा	अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया के अधीन।
5	डा० मनोज कुमार राम, सहायक प्राध्यापक(संविदा), शिशु रोग विभाग	नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना	अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया के अधीन।
6	डा० राजेश कुमार, सहायक प्राध्यापक(संविदा), शिशु रोग विभाग	नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना	अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया के अधीन।


2. प्रतिनियुक्त सीनियर रेजिडेन्ट/चिकित्सक शिक्षक दिनांक-29.07.2019 के अपराहन में अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया के समक्ष अपना योगदान अनिवार्यतः समर्पित करेंगे।

3. अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया विभागीय आदेश सं० 571(17) दिनांक-19.07.2019 द्वारा पूर्व में प्रतिनियुक्त सीनियर रेजिडेन्ट/चिकित्सक शिक्षकों को दिनांक-29.07.2019 के अपराहन से विरमित कर देंगे।

4. प्रतिनियुक्त सीनियर रेजिडेन्ट/चिकित्सक शिक्षक के प्रतिनियुक्ति अवधि के मानदेय का भुगतान अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर मूल पदस्थापन स्थान से किया जायेगा।


(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

- ज्ञापक :- 17/विविध 1-81/2016 - 594 (17) पटना, दिनांक :- 26/7/19
- प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले०एवंह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना, भागलपुर एवं नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदाएवं जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर/अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित सीनियर रेजिडेन्ट/चिकित्सक शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-17/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा 01,02,03,08,09 एवं 17, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।